राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/बैठक/2017–18 जयपुर, दिनांक 27 जून, 2018

–::बैठक कार्यवाही विवरण ::–

प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला परिषद् समस्त के अधिशाषी अभियन्ता (अभि.)/आवास प्रभारी अधिकारियों की बैठक दिनांक 25.06.2018 को समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई।

बैठक में योजना के क्रियान्वयन व प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर एजेण्डा बिन्दुवार चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय/निर्देश दिये गये –

1. **योजनान्तर्गत वंचित पात्र परिवारों को जोडने की प्रगति पर चर्चा** – वंचित पात्र परिवारों के चिन्हीकरण हेतु विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2018 द्वारा गतिविधिवार निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही के क्रम में ग्राम सभाओं को प्राप्त अपीलों के अनुमोदन उपरांत ब्लॉक/जिला स्तरीय कमेटी द्वारा सत्यापित सूची के अनुसार चिन्हित पात्र परिवारों की सूचना 05.06.2018 तक एवं विभागीय पत्र दिनांक 01.06.2018 व 12.06.2018 द्वारा पुनः दिनांक 20.6.2018 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

   उक्त संबंध में बैठक मे जिला स्तर से अनूमोदन उपरान्त चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की वर्गवार सूचना पर चर्चा की गई। उक्त प्राप्त सूचना पर चर्चा उपरान्त वंचित पात्र परिवारों की ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसानर विस्तृत जानकारी/विवरण एवं जियोटेग फोटो "आवास प्लस" मोबाईल ऐप के माध्यम से दिनांक 31 जुलाई 2018 तक आवश्यक रूप से आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा IAY आवास योजना के Closure के संबंध में चाही गई, जिलों से प्राप्त सूचना पर चर्चा उपरान्त सूचनाओं का पुनः सत्यापन कर अंतिम सूचना के साथ CMBPL के Closure की सूचना भी दिनांक 29.06.2018 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवासों में से अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों को पूर्ण करने हेतु माहवार आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध 35 प्रतिशत प्रगति अर्जित किये जाने पर खेद व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आवंटित लक्ष्य अनुसार कार्ययोजना बनाकर सभी स्वीकृत आवासों को 31 जुलाई 2018 तक पूर्ण करावें। साथ ही वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की बकाया 2484 प्रथम किश्त अनिवार्य रूप से 30.06.2018 तक जारी करने हेतु भी निर्देशित किया गया।
4. वर्ष 2018–19 के 1.43 लाख लक्ष्यों के विरूद्ध 58 प्रतिशत आवासों को ही प्रथम किश्त जारी की गई है, साथ ही वर्ष 2018–19 हेतु 70000 के अतिरिक्त लक्ष्य जिलों को आवंटित कर दिये गये है, इस प्रकार कुल लक्ष्य 2.13 लाख के लक्ष्यानुसार पंजीयन, स्वीकृति एवं प्रथम किश्त हस्तान्तरण की कार्यवाही 10 जुलाई 2018 तक कर सभी को अक्टूबर 2018 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

5. आवास सॉफ्ट से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु एनआईसी, नई दिल्ली स्तर से हल किये जाने हो, की सूचना सपोर्ट ई–मेल पर प्रेषित कर टोकन नम्बर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें। यदि टोकन नम्बर प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर समस्या का हल नहीं हो तो उक्त अनरिजोल्वड टोकन नम्बर की सूचना ई–मेल द्वारा विभाग को टोकन नम्बर व लाभार्थी आई डी के साथ साप्ताहिक रूप से संकलित कर सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. **सीए ऑडिट एवं प्रशासनिक मद** – प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण अंतर्गत प्रशासनिक मद के उपयोगिता प्रमाण पत्र व सीए ऑडिट प्रस्तुत कर अगली किश्त का क्लेम प्रस्तुत करने एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार विभागीय पत्र दिनांक 21.05.2018 के द्वारा योजनान्तर्गत 14 जिलों द्वारा प्रशासनिक मद हेतु एक से अधिक खातों का संचालन किया जा रहा है, ऐसे एक से अधिक खातों को बंद कराकर अवशेष राशि का एसएनए में जमा करने के निर्देशों के क्रम में अभी भी जिन जिलों में 1 से अधिक खाते संचालित है, उन्हें तुरन्त बंद कराकर दिनांक 29.06.2018 तक सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. विधानसभा के पिछले सत्रों के लम्बित प्रश्नों के क्रम में प्रतिउत्तर 7 दिवस में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
8. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा EGSA के क्रम में आयोजित वी.सी. में दिये गये निर्देशों की पालना में राज्य में चयनित 5 आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) धौलपुर, करौली, बारां, सिरोही व जैसलमेर की प्रगति की समीक्षा कर निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी आवासों को 15 अगस्त 2018 तक पूर्ण कराया जावें।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

27/6/18
(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
4. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. अधिशाषी अभियन्ता (अभि.)/आवास प्रभारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

27/6/18
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि